राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –1242–एक/15 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.08.2015	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव व अनावेदक की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष अधिवक्ता द्धारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1677–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 24.2.14 के विरूद्ध प्रस्तुत। पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1242–एक/15 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये । आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1677–दो/06 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 24.2.14 से किया जा चुका है ।	आ

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनर्विलोकन

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कुन्दन सिंह
2. परमानंद पुत्र स्व. कुन्दन सिंह
3. मनोज पुत्र स्व. कुन्दन सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम हड़कल जैन तहसील बीना जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्र.कं. 1677–।।/06 में पारित आदेश दिनांक 24.2.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षप्ति तथ्य –

1– यह कि, ग्राम हड़कल जैन तहसील बीना में स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल रकवा 22.40 एकड पर आवेदकगण के पितामह पूर्व मालगुजार व उसके बाद आवेदक के पिता का कब्जा लगातार होने से संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित करने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.07.2001 में यह निश्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमि पर जमींदारी समाप्ति के पश्चात एवं वर्तमान भू. राजस्व संहिता लागू होने के